

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (P-240) अलेसे-1/ 1621-1626 दिनांक:- 21/10/2022

आदेश

श्री पूरणदास बलाई (लिक नं. 4830), तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को विभागीय आदेश संख्या 1057 दिनांक 21.12.2017 से निलम्बन से बहाल करते हुये पदस्थापन कार्यालय, निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर में किया गया था।

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 995 दिनांक 22.11.2021 की निरन्तरता में श्री बलाई की निलम्बन अवधि दिनांक 18.10.2017 से 21.12.2017 तक को समस्त प्रयोजनार्थ सेवा योग्य मानते हुये निलम्बन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए उक्त अवधि के सभी शेष वेतन एवं भत्तों का भुगतान कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर से किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (P-240) अलेसे-1/ 1621-1626 दिनांक:- 21/10/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2218121 दिनांक 16.09.2022 के क्रम में श्री बलाई की मूल सेवापुस्तिका के साथ प्रेषित करते हुए लेख है कि निलम्बन काल के शेष वेतन भत्तों का भुगतान एवं सेवा सत्यापन करने का श्रम करें।
- 2 संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
- 3 कोषाधिकारी (सचिवालय/शहर), जयपुर।
- 4 श्री पूरणदास बलाई, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, .....
- 5 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 6 रक्षित/निजी पत्रावली।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)